भारत सरकार

जल संसाधन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1542

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2011 को दिया जाना है ।

.....

महाराष्ट्र के बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम हेतु सहायता

1542. श्री पीयूष गोयल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र में जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण तथा पुनरूद्धार योजना के अंतर्गत बकाया राशि जारी कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी आपत्ति की है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

जल संसाधन एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वींसेंट एच. पाला)

(क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार (आरआरआर) स्कीम के तहत वर्ष 2011-12 के दौरान कार्यान्वयन के लिए 135.08 करोड़ रूपए की आकलित लागत पर 258 जल निकायों हेतु संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके संबंध में राज्य सरकार को अब तक 80.53 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है ।

(घ) और (ड.) महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 21.7.2008 को केन्द्रीय जल आयोग को "महाराष्ट्र के सतारा जिले में कृष्णा नदी के किनारे पर भारत के दिवंगत उपप्रधानमंत्री श्री यशवंतराव चव्हाण के समाधि के समीप बाढ़ से सुरक्षा के लिए संरचनाओं के निर्माण" से संबंधित 14.65 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत वाला एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । सीडब्ल्यूसी में प्रस्ताव की जांच की गई और प्रस्ताव पर सीडब्ल्यूसी की टिप्पणियां दिनांक 18.08.2008 को महाराष्ट्र सरकार को भेजी गईं थीं । तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना नहीं मिलने के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका ।

*****